## ग्वालियर (म.प्र.)

मृतक अफजल पिता कमरू के वारिसान –

1. सलमा बी पति स्व. अफजल, आयु–37 वर्ष,
2. कु. कायनात पिता स्व. अफजल, आयु–19 वर्ष,
3. सोहेल पिता स्व. अफजल, आयु–18 वर्ष,
4. साहिल पिता स्व. अफजल, आयु–15 वर्ष नाबालिग

द्वारा :– सरपरस्त माता सलमा बी पति स्व. अफजल
समस्त निवासीयान 307, बिरियाखेड़ी,
रतलाम (म.प्र.) – **निगरानीकर्तागण**

## विरूद्ध

1. रशीदा बानो पति एहमद नूर घोसी,
2. अलताफ पिता एहमद नूर घोसी,

निवासी–शाही मस्जिद के पास, कोटड़ी,
कोटा, राजस्थान – **प्रत्यर्थीगण**

# निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.

**विरूद्ध आदेश न्यायायल श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (रतलाम ग्रामीण) जिला–रतलाम, द्वारा :– अपील प्र. क्र. 38/अपील/15–16 में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 21.09.16, 24.09.16 व 27.09.16 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत हैं।**

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत हैं :–

## –: प्रकरण के तथ्य :–

निगरानीकर्ता क्र. 1 के पति व निगरानीकर्तागण क्र. 2, 3 व 4 के पिता ने दिनांक 26.11.2015 को न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय रतलाम के समक्ष म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत ग्राम जुलवानिया तहसील रतलाम स्थित कृषि भूमियां सर्वे नं. 260/1 रकबा 0.390 हेक्टर, सर्वे नं. 260/1/4 रकबा 0.580 हेक्टर एवं सर्वे नं. 310 रकबा 0.760 हेक्टर पर हिबानामा के आधार

*निरंतर.......2*

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक निगरानी 3679–पीबीआर/2016** **जिला रतलाम**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 25.10.2016 | आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–9–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से 30 दिवस के लिये स्थगन दिया गया है, अतः आवेदक को चाहिये कि वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्थगन निरस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करें । वैसे भी 30 दिवस की अवधि दिनांक 27–10–2016 को समाप्त हो रही है, अतः इस निगरानी में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |